न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
15 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	20.02.2015	25.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन एफ.बी.ओ मैसर्स जैन किराणा स्टोर सब्जी मण्डी के पास अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक निवासी राज0हायर सैकण्डरी स्कूल के पीछे अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

2–श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री सी.एल.जैन एफ.बी.औ मैसर्स रिषभ एन्टरप्राइजेज,नरेन्द्र कोठी,नरेन्द्र मार्ग गुलाब बाडी कोटा राज0,निवासी 96 नरेन्द्र मार्ग गुलाब बाडी लाडपुरा कोटा राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 25.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2012 को समय 7.35 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जैन किराणा स्टोर सब्जी मण्डी के पास अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से पवन कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन एफ.बी.ओ मैसर्स जैन किराणा स्टोर सब्जी मण्डी के पास अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक निवासी राज0हायर सैकण्डरी स्कूल के पीछे अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सरसों तेल (मगंलम ब्राण्ड)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री पवन कुमार जैन को गवाह के समक्ष ... नगूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर ... पवन कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे रखी 39 प्लास्टिक बोतले 140–140 ग्राम **सरसों तेल (मगंलम ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 140–140 ग्राम की 12 प्लास्टिक शीशियो को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिराकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री पवन कुमार जैन को रू0 180/–अक्षरे एक सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सरसों तेल (मगंलम ब्राण्ड)** 140–140 ग्राम की 12 प्लास्टिक शीशियो मूल पैक ज्यो की त्यो साफ प्रिन्टेड 3–3 शीशियो को प्लास्टिक के साफ व सूखे 4 डिब्बो मे बंद कर डिब्बो को एयर टाईट बंद नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल. तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–404 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–404 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. पवन कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2012/3812 दिनांक 20.11.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषकखाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/713/एक्ट/2012/717 दिनांक 26.10.2012 अनुसार पवन कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **सरसों तेल (मगंलम ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अत: प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **सरसों तेल (मगंलम ब्राण्ड)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि दण्डनीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:01 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र कि प्रति प्रस्तुत की। अतः अप्रार्थी संख्या 2 कि मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सरसों तेल (मगंलम ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल (मगंलम ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन एफ.बी.ओ मैसर्स जैन किराणा स्टोर सब्जी मण्डी के पास अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक निवासी राज0हायर सैकण्डरी स्कूल के पीछे अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक पर शास्ति 23,000 (अक्षरे तेईस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

25-8-21
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner